

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 925 / 2012

संस्थापन दिनांक 21.11.2012

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला  
भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

नरेन्द्रसिंह पुत्र हरचरनसिंह गुर्जर उम्र 26 साल निवासी  
वायुनगर महाराजपुरा थाना महाराजपुरा जिला  
ग्वालियर म.प्र.

— अभियुक्त

निर्णय

( आज दिनांक.....को घोषित )

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337, 304ए भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 15.11.12 को 14:20 बजे या उसके लगभग घूम का पुरा छीमका कॉलोनी के आगे बूटी कुईया पुलिया के पास भिण्ड ग्वालियर रोड लोकमार्ग पर स्कोर्पियो क्रमांक एम0पी0-07-सी.सी. को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर साबिर खां की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर उस पर बैठे साबिर खां अ0सा02 महरूम बानो अ0सा03 तथा आरिफ को उपहति कारित की तथा जरीना खां की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 15.11.12 को साबिर अ0सा02 अपनी पत्नी जरीना व भतीजी महरूम अ0सा03 व आरिफ के साथ मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-30-बी.ए.3225 से साबिर अ0सा02 की ससुराल मेहगांव ग्राम नौनेरा से जा रहे थे दूसरी मोटरसाइकिल पर फरियादी साकिर अ0सा01 और शहीद अ0सा05 थे और पीछे थे तब छीमका कॉलोनी के पास बड़ी पुलिया पर ग्वालियर की ओर से एक स्कोर्पियो जीप को चालक तेजी व

उपेक्षापूर्वक चलाकर आया और साबिर अ0सा02 की मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मार दी जिससे उन चारों को चोटें आईं और जरीना की मृत्यु हो गयी। स्कोर्पियो क्रमांक एम0पी0-07-सी.सी.5492 को आरोपी भिण्ड की तरफ चलाकर ले गया। घटना की देहाती नालिसी प्र0पी-4 थाना गोहद चौराहा में साकिर अ0सा01 द्वारा दर्ज कराई गयी जिस पर से जिस पर से थाना गोहद चौराहा में अप0क0 199/12 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनने से अभियोग पत्र विचारण हेतु च्यालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में साक्षी राजेशसिंह बा0सा01 को परीक्षित कराया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-
  1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक 15.11.12 को 14:20 बजे या उसके लगभग घूम का पुरा छीमका कॉलोनी के आगे बूटी कुईया पुलिया के पास भिण्ड ग्वालियर रोड लोकमार्ग पर स्कोर्पियो क्रमांक एम0पी0-07-सी.सी. को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
  2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर साकिर खां की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर उस पर बैठे साबिर खां अ0सा02 महरूम बानो अ0सा03 तथा आरिफ को उपहति कारित की ?
  3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर साकिर खां की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर उस पर बैठी जरीना खां की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 के संकारण निष्कर्ष //

5. फरियादी साकिर अ0सा01 ने कथन किया है कि दिनांक 12.05.14 से डेढ़-दो वर्ष पूर्व छीमका के आगे की घटना है उसका भाई साबिर अ0सा02 उसकी पत्नी मृतक जरीना उसकी पुत्री मेहरूम अ0सा03 व भतीजा आरिफ साबिर खां की ससुराल मेहगांव मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-30-3225 से जा रहे थे तब वह घर पर था तब उसे फोन से एक्सीडेंट की सूचना मिली तब वह गोहद अस्पताल पहुंचा तब उसे पता चला कि स्कोर्पियो गाड़ी से टक्कर हुई है जिसमें जरीना की मृत्यु हुई व शेष सभी को चोटें आईं। पुलिस ने अस्पताल में आकर देहाती नालिसी प्र0पी-4 लिखी थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। स्कोर्पियो गाड़ी का उसे नंबर नहीं मालूम और कौन चला रहा था यह भी उसे जानकारी नहीं है। सफीना प्र0पी-1, शव पंचायतनामा प्र0पी-2, नक्शामौका प्र0पी-3, सुपुर्दगीनमा प्र0पी-5 पर इस साक्षी ने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 15.11.12 को वह साबिर अ0सा02 के साथ जा रहा था तब ग्वालियर की ओर से स्कोर्पियो चालक ने तेजी व लापरवाही से साबिर अ0सा02 की मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मार दी। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित

होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दफ़्तरी प्रती-6 और देहाती नालीस प्रती-4 में भी दिए जाने से इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि वह डाइवर को नहीं जानता है ना ही वह घटनास्थल पर मौजूद था।

6. साबिर अ0सा02 ने कथन किया है कि वर्ष 2012 में दीवाली की दौड़ पर वह अपनी पत्नी जरीना, बेटी मेहरूम अ0सा03 व पुत्र आरिफ़ के साथ मोटरसाइकिल से अपनी ससुराल मेहगांव जा रहा था। पीछे उसका भाई साकिर अ0सा01 मोटरसाइकिल चला रहा था तब छीमका की पुलिया पर किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी कौन सी थी वह नहीं देख पाया और कैसे चल रही थी वह यह भी नहीं बता सकता। उसके व मेहरूम के चोटें आई थी तथा जरीना की मृत्यु हो गयी थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि उसे जानकारी है कि जीप क्रमांक एम0पी0-07-सी.सी.5492 को आरोपी तेजी व लापरवाही से चलाकर आया और दुर्घटना कारित थी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दफ़्तरी प्रती-5 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
7. साक्षी शहीद अ0सा05 ने कथन किया है कि उसे घटना की जानकारी नहीं है उसके समक्ष एक्सीडेंट नहीं हुआ। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 15.11.12 को आरोपी ने उपेक्षापूर्वक स्कोर्पियो गाड़ी क्रमांक एम0पी0-07-सी.सी. 5492 को उपेक्षापूर्वक परिचालित कर अभियोजित घटना कारित की है और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दफ़्तरी प्रती-7 में भी दिए जाने से इंकार किया है। साक्षी मेहरूम अ0सा03 धारा 118 साक्ष्य अधिनियम के अधीन साक्ष्य देने हेतु सक्षम होना प्रमाणित नहीं हुई है। आहत आरिफ़ की घटना के समय आयु 8 माह थी और कोमल मानसिकता के कारण उसे साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. साक्षी हरिमोहन अ0सा04 जोकि वाहन क्रमांक एम0पी0-07-सी.सी.5492 का स्वामी है ने कथन किया है कि उसके घर में और भी गाड़ियां हैं जिन्हें बदल बदलकर डाइवर चलाते हैं घटना दिनांक को वाहन क्रमांक एम0पी0-07-सी.सी. 5492 को कौन चला रहा था वह नहीं बता सकता। प्रमाणीकरण प्रती-6 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और इस सुझाव से इंकार किया है कि दिनांक 15.11.12 को आरोपी नरेन्द्र वाहन क्रमांक एम0पी0-07-सी.सी.5492 को चला रहा था।
9. अतः प्रकरण में आहत साबिर अ0सा02 और प्रत्यक्ष साक्षी शहीद अ0सा05 ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है और आरोपी द्वारा दुर्घटना कारित किए जाने से इंकार किया है। फरियादी साकिर अ0सा01 ने अभियोजन मामले और साबिर अ0सा02 के कथन से विपरीत स्वयं की घटनास्थल पर उपहति से इंकार कर आरोपी द्वारा उपेक्षापूर्वक वाहन परिचालित किए जाने से इंकार किया है। वाहन स्वामी हरिमोहन अ0सा04 ने घटना दिनांक को आरोपी के अधिपत्य में वाहन होने के तथ्य से इंकार किया है। अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से आरोपी द्वारा दुर्घटना कारित किया जाना प्रमाणित नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 15.11.12 को 14:20 बजे या उसके लगभग घूम का

पुरा छीमका कॉलोनी के आगे बूटी कुईया पुलिया के पास भिण्ड ग्वालियर रोड लोकमार्ग पर स्कोर्पियो क्रमांक एम0पी0-07-सी.सी. को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर साबिर खां की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर उस पर बैठे साबिर खां अ0सा02 महरूम बानो अ0सा03 तथा आरिफ को उपहति कारित की तथा जरीना खां की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

10. परिणामतः आरोपी को धारा 279, 337 (तीन बार), 304ए भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
11. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
12. प्रकरण में जप्त वाहन क्रमांक एम0पी0-07-सी.सी.5492 आवेदक हरिओम अ0सा04 की सुपुर्दगी में है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)